प्रेस विज्ञप्ति

21.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में 21.08.2025 को मेसर्स कंडाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक को 1.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां जारी कर दी हैं। ईडी इस मामले में शामिल अपराध की शेष राशि की पहचान करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज कई एफआईआर के अनुसरण में कंडाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक, मरनल्लूर, तिरुवनंतपुरम के तत्कालीन अध्यक्ष एन. भासुरंगन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की। उक्त एफआईआर में बैंक अधिकारियों पर उच्च रिटर्न का वादा करके जमाकर्ताओं को धोखा देने और फिर जमा राशि वापस करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था।

पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी की जांच से पता चला कि एन. भसुरंगन और उनके सहयोगियों ने बैंक के प्रबंधन में कई अनियमितताओं में लिप्त होकर कंडाला सेवा सहकारी बैंक को नुकसान कराने के साथ अवैध लाभ कमाया है, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, उन्हें वेतन और पदोन्नति प्रदान करने के लिए अनुचित राशि खर्च करना, निर्माण के लिए अयोग्य राशि खर्च करना, ऋण/एमडीएस को मंजूरी देने में अनियमितताएं, वाहनों की खरीद के लिए अनुचित राशि खर्च करना आदि।

पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत 08.11.2023 और 09.11.2023 को मेसर्स कंडाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक के कार्यालय परिसर और प्रमुख व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोना और वाहन जैसी चल संपत्तियां, और साथ ही आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए। एन. भासुरंगन (तत्कालीन अध्यक्ष, कंडाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक) और उनके बेटे अखिलजीत जे. बी. को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 21.11.2023 को गिरफ्तार किया गया। चल/अचल संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम कुर्की आदेश 18/1/2024 को जारी किया गया, जिसकी पुष्टि संबंधित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने की। एन. भासुरंगन और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई।